छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 991/2008</u>

1. श्री इंदरचन्द सोनी, – अपीलार्थी
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 30 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 20.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 02.07.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के समय इस प्रकरण में वास्तविक विलंब हुआ है और अब उन्होंने जानकारी तैयार करके दिनांक 20.01.2009 को अपीलार्थी को प्रदान कर दी है । एक अन्य प्रकरण में भविष्य में इस कार्यालय में सूचना का अधिकार के प्रकरणों पर लापरवाही नहीं बरती जावे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं, अतः इस आदेश की प्रति भी परिवहन आयुक्त को भेजी जावे । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में शास्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जानकारी छिपाने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com